यह निरीक्षण प्रतिवेदनकार्यालय अधिशासी अभियंता,परियोजना खंड,ऋषिकेश द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालयअधिशासी अभियंता, परियोजना खंड, ऋषिकेश के माह08/2019से 09/2020के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री भानु प्रताप सिंह,सहायक लेखापरीक्षा अधिकारीतथा श्री एस एस राणा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा श्री हनुमान सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 12.10.2020 से 21.10.2020 तक संपादित किया गया।

**भाग-I**

**1). परिचयात्मकः**कार्यालयअधिशासी अभियंता, परियोजना खंड, ऋषिकेश के लेखा अभिलखों की विगत लेखापरीक्षा सर्व श्री प्रवीण कुमार,सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, सर्व श्री मनोज कुमार, पर्यवेक्षक, द्वारा दिनांक 03.08.2019 से 13.08.2019 तक संपादित की गयी, जिसमे माह **09/2016 से 07/2019**तक की अवधि के लेखा अभिलेखों का संप्रेक्षण किया गया था।

**2).(i).इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**कार्यालयपरियोजना खंड, ऋषिकेश द्वारा निक्षेप मद के कार्य संपादित किए जाते हैं। कार्यालयअधिशासी अभियंतापरियोजना खंड, ऋषिकेश का कार्यक्षेत्र जिला देहारादून है।

**ii). (अ).विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः**

**(रु लाख में)**

| **वर्ष** | **प्रारम्भिक अवशेष** | | **स्थापना** | | **गैर-स्थापना** | | **आधिक्य** | **बचत** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **स्थापना** | **गैर-स्थापना** | **आबंटन** | **व्यय** | **आबंटन** | **व्यय** | | |
| **2018-19** | | **292.80** | **444.64** | **444.64** | **209.18** | **380.66** | | **121.32** |
| **2019-20** | | **121.32** | | | **556.00** | **315.50** | | **361.82** |
| **2020-21(08/2020 तक)** | | **361.82** | | | **532.00** | **587.26** | | **306.56** |

iii)कार्यालयअधिशासी अभियंता,परियोजना खंड, ऋषिकेश द्वारा जनपद हरिद्वार को प्रमुख अभियंता (बजट अनुभाग) सिचाई अनुभाग एवं डीसीएल जिलाधिकारी/कुम्भ मेला प्रशासन से प्राप्त होती है । प्रश्नगतइकाईसंपादित कार्यों एवं स्वीकृत कार्यों के आधार पर 'बी' श्रेणीकी है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

1. प्रमुख सचिव
2. प्रमुख अभियंता
3. मुख्य अभियन्ता
4. अधीक्षण अभियन्ता
5. अधिशासी अभियन्ता
6. सहायक अभियन्ता

**iv). लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः**वर्तमान लेखापरीक्षा माह08/2019से 09/2020तक की अवधि को आच्छादित करते हुए कार्यालयअधिशासी अभियंता, परियोजना खंड, ऋषिकेश के लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच के आधार पर तैयार की गयी। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालयअधिशासी अभियंता, सिचाई खंड, रूड़की (हरिद्वार) की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। अधिकतम व्यय के आधार माह.....को विस्तृत जांच हेतु तथा अधिकतम प्राप्ति के आधार पर .....माह को विस्तृत जांच के लिए नमूना माह के रूप मे चयनित किया गया।

**v).**लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद- 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा15लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

## भाग-2 'ब'

**प्रस्तर-1: प्रतिभूति धनराशि रु. 166795.00 का विगत कई वर्षों से समायोजन न होना।**

वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग VI के प्रस्तर 622 में प्रावधानित है कि "In the accounts for March each year, the following classes of items in the Public Works deposit account should be carried to the revenues of the State or the Central Government as lapsed deposits—

(i) original deposits for central work not exceeding one rupee and deposits for State works not exceeding five rupee, unclaimed for one whole account year.

(ii) balances not exceeding one rupee of items party cleared during the year then closing ;

(iii) balances unclaimed for more than three complete account year.

For the purpose of this rule the age of a repayable item, or of a balance of it to be reckoned as dating from the time when the item or the balance as the case may be, become first repayable."

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, परियोजना खण्ड, सिंचाई विभाग, ऋषिकेश के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि माह अगस्त 2019 के मासिक लेखे में Form-79-Schedule of Deposit के भाग-III ठेकेदारो की प्रतिभूति धनराशि शीर्ष में रु. 166795.00 की धनराशि असमायोजित्त थी जो माह सितम्बर 2020 तक भी असमायोजित पड़ी थी।जांच में आगे पाया गया कि इकाई के भाग-II डिपॉज़िट रजिस्टर के अनुसार ठेकेदारो की प्रतिभूति शीर्ष में रु.187295.00 की धनराशि दर्ज थी। इस प्रकार मासिक लेखे व डिपॉज़िट रजिस्टरमें रु. 20500.00 का अंतर पाया गया। जांच में यह भी पाया गया कि इकाई के पास उक्त धनराशिविगत कई वर्षों से असमायोजित पड़ी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इस संबंध में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि डिपॉज़िट रजिस्टर की त्रुटि को सही कर दिया जाएगा एवं ठेकेदारों द्वारा मांग न किए जाने के कारण धनराशि असमायोजित है तथा लेखे की जांच कर अन्तर का समाशोधन कर लिया जाएगा एवं वापसी हेतु बार-बार मौखिक रूप से अवगत कराया गया।

इकाई का उत्तर स्वतः ही लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है एवं उत्तर इसलिए भी मान्य नहीं है कि धनराशि के 03 वर्षों से अधिक अदावाकृत रहने पर उक्त नियम के परिप्रेक्ष्य में अदावाकृत धनराशि को शासकीय खाते में जमा किया जाना चाहिए था।

अतः प्रतिभूति धनराशि रु. 166795.00 का समायोजन न किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

## STAN

**प्रस्तर:-01 अधिप्राप्ति नियमावली के विरूद्ध कार्य किया जाना एवं ठेकेदार को रु. 74434.18 अधिक का अनुबंध किया जाना।**

भारत सरकार द्वारा संचालित strengtheningofstatedrugregulatorysystem योजना के अंतर्गत उत्तराखण्ड राज्य में औषधि नियंत्रण विभाग के कार्यालय भवन तथा औषधि परीक्षण प्रयोगशाला का निर्माण स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय देहारादून के परिसर में किए जाने हेतु शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत अपने शासनादेश संख्या 133(1)/XXVIII-3-2019-05/2016 दिनांक 25.01.2019 को परियोजना खंड ऋषिकेश को उक्त कार्य हेतु कार्यदाई संस्था नामित किया गया था। योजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति शासनादेश संख्या 71(1)/ XXVIII-5-2019-52/2018 दिनांक 29.01.2019 द्वारा स्वीकृत किया गया था। उक्त के सापेक्ष कार्यालय मुख्य अभियंता सिचाई विभाग उत्तराखण्ड द्वारा दिनांक 13/06/2019 को ₹ 656.09 लाख की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी।उक्त कार्य के अंतर्गत (1) सिविल वर्क (2)सैनीटरी वाटर सप्लाई और सीवरेज वर्क(3) वॉटर टैंक, सेप्टिक टैंक और सोक पीट रेन वॉटर हार्वेस्टिंग(4) डेवलपमेंट वर्क, (5)बाउंडरी वाल (6)एलेक्ट्रिक वर्क (इंटीरियर वर्क ) (7)एलेक्ट्रिक वर्क (एक्सटर्नल वर्क), (8)एचवीएसी सिस्टम (9)फायर हाइड्रेन्ट और स्प्रिंकल सिस्टम (10) स्मोक डिटेक्टर अलार्म सिस्टम (11) फायर एक्स्टिंगुशर (12) कोस्ट ऑफ लिफ्ट के मदों के कार्य कराये जाने थे । निवीदा आमंत्रण की तिथियां निम्न प्रकार थी :-

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Date of Online Publicaton | 25.02.2019 | 17.00 Hrs |
| 2. | Document downloads Start date | 25.02.2019 | 17.30 Hrs |
| 3. | Document downloads End date | 07.03.2019 | 17.30 Hrs |
| 4. | Pre Bid Meeting | 05.03.2019 | 12.00 Hrs |
| 5. | Bid submission Start date Online | 02.03.2019 | 15.00 Hrs |
| 6. | Last Date for Physical Submission of technical bid security, cost of bidding document and other documents (experience, turn over etc.) | 08.03.2019 | 11.00 Hrs |
| 7. | Bid submission end date Online | 07.03.2019 | 17.00 Hrs |
| 8. | Date of Technical bid opening (Online) | 08.03.2019 | 12.00 Hrs |
| 9. | Date of opening of Financial bid | To be announced | |

उक्त से स्पष्ट है की तकनीकी स्वीकृति प्राप्ति के पूर्व ही निविदा आमंत्रित कर दी गयी जो की अधिप्राप्ति नियमावली के विरूद्ध था।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, परियोजना खंड ऋषिकेश के अभिलेखो की जांच नमूना जांच में पाया गया कि प्राक्कलन में जो मदें सम्मिलित थी मात्र तीन मदों(01 से 03 मद ) को शामिल करके निविदा आमंत्रित की गयी थी साथ ही अन्य मदों को अतिरिक्त मदों में शामिल कर कार्य कराया गया जबकि अधिप्राप्ति

नियमावली के अनुसार निम्नतर दरों का लाभ प्राप्त करने के लिए यथासाध्य अधिकतम आवश्यक मात्रा की एक साथ अधिप्राप्ति का प्रयास किया जाना चाहिए था।

आगे अभिलखों की नमूना जांच में पाया गया कि मैसर्स हरिओम शर्मा की निविदा प्रथम तीन मदों हेतु न्यूनतम होने पर मंजूर की गयी (.78%न्यूनतम) तथा अनुबंध 10/एस ई/2018-19 गठित किया गया। कार्य प्रारम्भ की तिथि 09.03.2019 तथा समाप्ती की तिथि 08.09.2019 थी।

अतिरिक्त मदों(04 से 12 मद ) जिसकी धनराशि रु. 9542844.00 थी हेतु निविदा किए जाने का कोई अभिलेख इकाई द्वारा उपलब्ध नही कराया गया तथा उक्त कार्य हेतु भी मैसर्स हरी ओम शर्मा के साथ पृथक से अनुबंध किया गया था जो नियमों के विरूद्ध था जिसकी दरें प्राकलन की दरों के अनुसार ही थी जबकि उक्त मेसर्स के साथ 0.78% दरों के न्यूनतम की जाने की बात की जानी चाहिए थी जिससे (₹ 9542844.00x0.78%=रु.74434.18) रु. 74434.18 की बचत की जा सकती थी। वर्तमान तक कार्य का 73% ही कार्य पूर्ण हुआ है जबकि कार्य समाप्ती की तिथि 08.09.2019 थी।

उक्त के संबंध में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों की पुष्टि करते हुए अवगत कराया गया कि टीएस अधीक्षण अभियंता कार्यालय से मुख्य अभियंता कार्यालय को कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व प्रेषित किया गया था। अन्य मदों के संबंध में अवगत कराया गया कि अन्य मदों के कार्य सिविल मदों के उपरांत किए जाने थे इसलिए निविदा में शामिल नही किया गया साथ ही अतिरिक्त मदों में ठेकेदार से 0.78% की धनराशि अनुबंध के अनुसार काट ली जाएगी।

इकाई का उत्तर लेखापरीक्षा को अमान्य था क्योकि निम्नतर दरों का लाभ प्राप्त करने के लिए यथासाध्य अधिकतम आवश्यक मात्रा की एक साथ अधिप्राप्ति का प्रयास किया जाना चाहिए था साथ ही अतिरिक्त मदों में ठेकेदार से 0.78% की धनराशि अनुबंध के अनुसार काटे जाने की बात स्वीकार की गयी। अतः अधिप्राप्ति नियमावली के विरूद्ध कार्य किया जाने एवं ठेकेदार को रु.74434.18 अधिक का अनुबंध किए जाने का मामला उच्चाधिकारियों के संज्ञान मेंलाया जाता है।

**<u>भाग-III</u>**

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

| प्रतिवेदन संख्या एवं वर्ष | प्रस्तर संख्या | | |
|---|---|---|---|
| | भाग II `अ` | भाग II `ब` | STAN |
| 67/2004-05 | - | 1, 2 | - |
| 98/2005-06 | 1 | 1, 2, 3, 4 | - |
| 92/2011-12 | - | 1 | - |
| 114/2014-15 | - | 1,2,3,4 | - |
| 58/2016-17 | - | 1 | - |
| 43/2019-20 | | 1, 2 | |

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

| प्रतिवेदनसंख्या | प्रस्तर 2A | प्रस्तर 2B | प्रस्तर STAN | अभियुक्ति |
|---|---|---|---|---|
| 67/2004-05 | - | 1, 2 | - | इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि अनुपालन आख्या तैयार कर शीघ्र ही महालेखाकर लेखापरीक्षा को प्रेषित की जाएगी । |
| 98/2005-06 | 1 | 1, 2, 3, 4 | - | |
| 92/2011-12 | - | 1 | - | |
| 114/2014-15 | - | 1,2,3,4 | - | |
| 58/2016-17 | - | 1 | - | |
| 43/2019-20 | | 1, 2 | | |

**<u>भाग-IV</u>**

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

..... शून्य .....

**भाग-V**

**आभार**

**1).** कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालयअधिशासी अभियंता, परियोजना खंड, ऋषिकेश तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

**अप्रस्तुत अभिलेख: -**।

**2). सतत् अनियमितताएः**शून्य

**3).** लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया :

| **नाम** | **पदनाम** | **अवधि** |
|---|---|---|
| श्री रामगोपाल यादव | अधिशासी अभियंता | विगत लेखापरीक्षा से वर्तमान तक |

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय अधिशासी अभियंता, परियोजना खंड, ऋषिकेश को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे "उप-महालेखाकार/एएमजी-I, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड,महालेखाकार भवन,कौलागढ़, देहरादून- 248195" को प्रेषित कर दी जाय।

**वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/एएमजी-I**